।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 2/174 तारीख रज्जू 14.12.2018

01– महेश पुत्र स्व० श्री दौलतराम उम्र करीब 22 साल

02– रमेश पुत्र स्व० श्री दौलतराम उम्र करीब 25 साल

03– संतो पत्नि स्व० श्री दौलतराम उम्र करीब 50 साल

जातियान गुर्जर, निवासीयान ग्राम सामलात चक ग्राम पं० ढहलावास तहसील व जिला अलवर **–प्रार्थीगण**

बनाम

01– कृष्ण पुत्र फूलाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम बख्तपुरा

02– रामौतार पुत्र कृष्ण जाति गुर्जर निवासी ग्राम बख्तपुरा

03– दीनदयाल पुत्र कृष्ण जाति गुर्जर निवासी ग्राम बख्तपुरा

04– गोविन्द पुत्र कृष्ण जाति गुर्जर निवासी ग्राम बख्तपुरा तहसील व जिला अलवर। **–असल अप्रार्थीगण**

05– रूपराम पुत्र श्री बुद्धाराम जाति गुर्जर निवासी ग्रामक सामलात चक ग्राम पं० ढहलावास तहसील व जिला अलवर

–तरतीबी प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत हुकमइम्तनाई दवामी
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

–: निर्णय :–

दिनांकः 25.09.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 171 रकबा 0.84 है० वाके ग्राम सामलात चक तहसील व जिला अलवर में स्थित है। प्रार्थीगण के पिता व पति दौलतराम एवं तरतीबी अप्रार्थी का समान भाग है एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। श्री दौलतराम का स्वर्गवास हो चुका है, जिनकी विरासत अभी प्रार्थीगण के नाम नही खुली है, प्रार्थीगण विधिक वारिस काबिज जायदाद है तथा मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में कुछ भाग में सरसों की फसल खडी हुई है तथा कुछ भाग खाली है। विवादित आराजी से असल अप्रार्थीगण व किसी भी दीगर शख्स का किसी तरह का कोई संबंध एवं सरोकार ना है ना कभी रहा है। तरतीबी अप्रार्थी विचाराधीन मुकदमे में जिला कारागृह अलवर में बंद है तथा प्रार्थीगण कमजोर व असहाय है विवादित आराजी पर कार्य काश्तकारी करके व मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते है। असल अप्रार्थीगण भूमाफिया लोग है जिन्होने एक नाजायज गिरोह बना रखा है। प्रार्थीगण की कमजोर स्थिति व तरतीबी अप्रार्थी के जेल में बन्द होने के कारण विवादित आराजी पर नाजायज कब्जा करने के कोशिश में है। कुछ दिन पूर्व नींव खोदकर दीवार बनाने का प्रयास कर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की। प्रार्थीगण ने मुकामी पुलिस थाना सदर, अलवर में जाकर शिकायत की, थाना में सुनवाई नही होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय, अलवर को प्रार्थना पत्र पेश किया जिनके आदेश पर मुकामी पुलिस मौके पर गई ओर असल अप्रार्थीगण को दीवार बनाने से रोका गया। अप्रार्थीगण ने मुकामी पुलिस से सांठ गांठ बैठा ली ओर पुनः विवादित आराजी पर पक्की दीवार बनाने की कोशिश की। प्रार्थीगण पुनः थाना सदर अलवर गये तो उन्होने कार्यवाही करने से इंकार कर दिया व कहा कि अदालत से स्टे लेकर आओ तब कार्यवाही करेंगे। दौरान दावा यदि असल अप्रार्थीगण अपने उक्त बेजा मकसद में सफल हो गये तो प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी को अजहद नापूर्ति होने वाली क्षति होगी।

प्रार्थीगण ने असल अप्रार्थीगण को, प्रार्थीगण एवं तरतीबी प्रार्थी को जबरन बेदखल कर अपना नाजायज कब्जा नही करने, विवादित आराजी में

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

किसी तरह का कच्चा पक्का निर्माण नही कराने, कब्जे काश्त कुल कार्य काश्तकारी में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा नही करने तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड की नकलात का अवलोकन करने पर एवं वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन करने एवं शपथपत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने पर दिनांक 14.12.2018 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक आराजी खसरा नम्बर 171 रकबा 0.84 है० वाके ग्राम सामलात चक तहसील अलवर में प्रार्थीगण एवं तरतीबी प्रार्थी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत ना करने तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस से तलब किया गया। असल अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में जर्ये वकील उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित चरण संख्या 3 व 4 बाबत कोई आपत्ति नही बतलाई तथा चरण संख्या 2 मात्र इस हद तक सही बतलाया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 171 रकबा 0.84 है० वाके ग्राम सामलात चक तहसील व जिला अलवर में स्थित है, बाकी चरण संख्या 1, 5 लगा० 12 गलत बतलाते हुए स्वीकार नही किये है। अप्रार्थीगण ने अतिरिक्त कथन में अंकित किया है कि दावा एवं प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध तथा मनगढंत व मिथ्या तथ्यों को आधार बनाकर प्रस्तुत किये है। विवादित आराजी से हमारा किसी प्रकार का संबंध सरोकार नही है। विवादित आराजी का रकबा मुताबिक जमाबन्दी मौके पर पूरा है नक्शे में सैटलमेन्ट द्वारा विवादित आराजी की आकृति बडी बना दी है क्योंकि ये दो गांवों की सीमा पर है। विवादित आराजी के समीप सिवायचक आराजी पर अप्रार्थीगण का सालो पुराना कब्जा है। विवादित आराजी की आड में प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की कब्जेशुदा आराजी पर नाजायज कब्जा करना चाहते है। वादीगण/प्रार्थीगण को कोई बिनायदावी

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

व बिनाय मुखास्मत पैदा नही हुई है। जिसके अभाव में कानूनन वादीगण/प्रार्थीगण का वाद/प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही बतलाते हुए प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के इन्ग्रीडियेंश प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर प्रार्थना पत्र में वर्णित विवरण को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 14.12.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद (Absolute) करने का न्यायालय को निवेदन किया।

वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के इन्ग्रीडियेंश प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर दिनांक 14.12.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने का न्यायालय को निवेदन किया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाते है। हम दिनांक 14.12.2018 को आराजी खसरा नम्बर 171 रकबा 0.84 है० वाके ग्राम सामलात चक तहसील अलवर में अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक प्रार्थीगण एवं तरतीबी प्रार्थी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत ना करने तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद (Absolute) कन्फर्म किया जाना उचित समझते है।

अतः दिनांक 14.12.2018 को आराजी खसरा नम्बर 171 रकबा 0.84 है० वाके ग्राम सामलात चक तहसील अलवर में अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक प्रार्थीगण एवं तरतीबी प्रार्थी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत ना करने तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद (Absolute) कन्फर्म की जाती है।

महेश वगै० बनाम कृष्ण वगै०

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को लिखाया जाकर खुले ायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर ाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलेक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner